प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.07.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 05 मोबाइल फोन,02 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड , 03 डेबिट कार्ड, 70 सिम एयरटेल कम्पनी के, 01 आरसी, 43 सिम के खाली खांचे, 01 आईडी कार्ड , 01 एप्पल कम्पनी का लेपटाप, एक वेलकम किट, 03 चैक बुक, 02 डायरी व अन्य कागजात , एक बैग रंग काला बरामद ।

दिनांक 06-07-24 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा नन्दी पार्क के पास में खड़ंजे वाले रास्ते से 04 अभियुक्तों को 05 मोबाइल फोन,दो आधार कार्ड,दो पैन कार्ड , 03 डेबिट कार्ड, 70 सिम एयरटेल कम्पनी के, एक आरसी, 43 सिम के खाली खांचे, 01 आईडी कार्ड , 01 एप्पल कम्पनी का लेपटाप, एक वेलकम किट, 03 चैक बुक, 02 डायरी व अन्य कागजात , एक बैग रंग काला के सहित गिरफ्तार किया गया , अभि0गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता--

1.फैसल उर्फ फैजू उर्फ दांते पुत्र कासिम रजा निवासी माता मन्दिर के पास WZ-572 हर्ष के मकान में नारायणा विहार दिल्ली मूल निवासी सूरजकुण्ड चुंगी के पास मन्दिर के पास सूरजकुण्ड गोरखपुर जिला गोरखपुर उम्र 24 वर्ष

2- जानी उर्फ अक्षत कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी WZ-860/A नारायणा गांव बाल्मीकि मन्दिर के पास नारायणा दिल्ली उम्र 29 वर्ष

3- विशेष सैनी उर्फ विश्वास उर्फ सुन्दर पुत्र आनन्द कुमार सैनी निवासी 4101गली मन्दिर वाली पहाड़ी धीरज सदर बाजार दिल्ली उम्र 28 वर्ष

4- गौरव कुमार कुमार पुत्र मृत्युंजय कुमार निवासी मदन जी का आहता कतीरा मोड़ आरा जिला आरा बिहार हाल निवासी बी-2-404 आम्रपाली लेजर पार्क नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा जिला गोतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ये सामान हम लोग साइबर अपराध करने वाले लोगो को सप्लाई करते हैं तथा ये सिम तथा खाते हम लोगो ने फर्जी आई-डी पर लिये व खुलवाये हुये हैं तथा आज हम तीनो मो0 फैसल उर्फ फैजू उर्फ दांते , जानी उर्फ अक्षत कुमार तथा विशेष सैनी उर्फ विश्वास उर्फ सुन्दर इन फर्जी सिमो व खातो को गौरव कुमार को देने हेतू आये हुये थे ये सभी फर्जी/कूटरचित आईडी पर सिम तथा बैंक खाते हम अपने साथी हनी जो कि शाहदरा दिल्ली का रहने वाला हैं के साथ मिलकर बनाते हैं तथा गोरव कुमार इन सिमो व खातो व चेक बुक व डेबिट कार्ड को सूरत चोरसिया उर्फ सूर्या पाण्डेय को देता है जो मोबाइल फोन हमारे पास हैं उसमें से हम एक-दूसरे के साथ इन्टरनेट/ TELEGRAM से जुड़े रहते हैं तथा सिम के हम लोगो को 400-500 रूपये तथा कूटरचित खातो के हम लोगो को 10000 से 15000 तक मिल जाते हैं, अभि0 गौरव कुमार ने बताया कि मैं usdt/क्रिप्टो करंसी को कैश कराने का कार्य करता हूँ तथा इसी कार्य में ये फर्जी सिम तथा खाता डिटेल इस्तेमाल करता हूँ।

बरामदगी का विवरण—

अभि0गण के कब्जे से 05 मोबाइल फोन,दो आधार कार्ड,दो पैन कार्ड , 03 डेबिट कार्ड, 70 सिम एयरटेल कम्पनी के, एक आरसी, 43 सिम के खाली खांचे, 01 आईडी कार्ड , 01 एप्पल कम्पनी का लेपटाप, एक वेलकम किट, 03 चैक बुक, 02 डायरी व अन्य कागजात , एक द बैग रंग काला बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05-07-2024 को मुखबिर की सूचना पर सायंकालीन चेकिंग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी आदिल उर्फ पीतल पुत्र बहाव निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को नाहल अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 30.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

आदिल उर्फ पीतल पुत्र बहाव निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त थाना मसूरी से हिस्ट्रीशीटर (H.S.) घोषित अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर गौकशी के 05 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग, हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कुल पंजीकृत अभियोग-10

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 03.75 लाख रूपये होल्ड।

दिनांक 21.05.2024 को वादी श्री मनीष भाटी को व्हाट्सएप ग्रुप 019 Motilal oswal financial service में जोडा गया तथा लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप Motilal oswal PMS में एकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने दिनांक 21.05.2024 से दिनांक 16.06.2024 तक वादी से कुल 06 लाख 42 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री मनीष भाटी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी और दिनांक 06.07.2024 को साक्ष्य के आधार पर रेलवे स्टेशन गाजियाबाद विजयनगर की तरफ लोको पायलेट शेड के पास से अभियुक्त 1. अदनान हुसैन अंसारी पुत्र इबादत हुसैन अंसारी निवासी म0नं0-362 मौहल्ला छोटी जुल्हेटी थाना राठ जनपद हमीरपुर(उम्र करीब-23 वर्ष) 2. मौहम्मद रियाज खान पुत्र मौ0 इमत्याज निवासी मौहल्ला गुलाब नगर लुधियातपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर(उम्र करीब-20 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से 10 राज्यों की कुल 24 घटनाओं में 09 करोड, 38 लाख रूपये के साइबर फ्राड की घटनाओं का अनावरण हुआ है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि पीड़ित को 019 Motilal oswal financial service में जोडकर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप Motilal oswal PMS में एकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने दिनांक 21.05.2024 से दिनांक 16.06.2024 तक वादी से कुल 06 लाख 42 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की घटना की गई। इस साइबर अपराध को करने वाले गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. अदनान हुसैन अंसारी पुत्र इबादत हुसैन अंसारी निवासी म0नं0-362 मौहल्ला छोटी जुल्हेटी थाना राठ जनपद हमीरपुर(उम्र करीब-23 वर्ष) शिक्षा-बीसीए।
2. मौहम्मद रियाज खान पुत्र मौ0 इमत्याज निवासी मौहल्ला गुलाब नगर लुधियातपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर(उम्र करीब-20 वर्ष) शिक्षा-10वी।

<u>बरामदगी अभियुक्तगण-</u>

05 मोबाइल फोन,03 मोहर, 17 चैकबुक, 04 बैंक पासबुक,15 एटीएम कोर्ड, 02 आधार कार्ड, 03 मोबाइल सिम, एक पीओएस मशीन बरामद।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण - दिनांक 03.05.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर आवेदक श्री परमजीत पुत्र संजय कुमार निवासी ग्राम मेवला भटटी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद ने उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण 1- महेश पुत्र अजीत व 2- अमन पुत्र महेश 3- सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू पुत्र हातम निवासीगण ग्राम मेवला भटटी थाना लोनी गाजियाबाद ने आवेदक के घर के सामने आकर गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देना तथा आवेदक के गेट खोलते ही कई राउंड फायरिंग (जान से मारने की नियत) करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कराया गया । मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार थाना मोदीनगर पर स्थानान्तरित की गई।

कार्यवाही का विवरण - आज दिनांक 06.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त महेश पुत्र अजीत नि0 ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद को गुरुनानकपुरा थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त महेश पुत्र अजीत निवासी ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद ने बताया कि हमारी प्रधानी को लेकर परमजीत से रंजिश चल रही है जिस कारण हमने आवेश मे आकर परमजीत व अमरजीत पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी।

पंजीकृत अभियोग –

01 अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

महेश पुत्र अजीत नि0 ग्राम मेवला भट्टी थाना भट्टी थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम कमिश्नेरट गाजियाबाद।